भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 320
(सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

विनियामक अनुपालन दाखिल करने में कमियां

320. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक प्रपत्रों संबंधी कार्रवाई करने, अनुमोदन और अन्य विनियामक अनुपालनों को दाखिल करने में विलंब और कमियों के संबंध में शिकायतें या रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और विलंब का स्वरूप क्या है और इस पर कार्रवाई की औसत समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए विलय संबंधी अनुमोदनों, कारपोरेट पुनर्गठन संबंधी आवेदनों और संबंधित फाइलिंग में तेजी लाने के लिए उपाय किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो इन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों अथवा डिजिटल पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): वर्तमान में कंपनियों द्वारा अनुपालन दाखिल करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्ररूपों का प्रसंस्करण स्ट्रैट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी), सशर्त एसटीपी तथा गैर-एसटीपी के माध्यम से किया जा रहा है। स्ट्रैट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) के अंतर्गत संसाधित किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप, दाखिल करने की प्रक्रिया पूर्ण होते ही रिकॉर्ड में ले लिए जाते हैं। गैर-एसटीपी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्ररूपों का प्रसंस्करण कंपनी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रश्नों एवं शिकायतों के निवारण हेतु ऑनलाइन शिकायत तंत्र तथा कॉल सेंटर की एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित है। इन शिकायतों का निस्तारण कंपनी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। प्राप्त एवं निस्तारित की गयी शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:–

	अनुमोदन संबंधी शिकायतें	तकनीकी पहलू संबंधी शिकायतें	कुल
18 सितम्बर 2022 से 31 मार्च, 2023	13252	389692	402944
1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024	38514	602032	640546
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025	92644	460272	552916

(ग) एवं (घ): व्यापार सुगमता बढ़ाने तथा विलंब एवं अवरोधों को कम करने के उद्देश्य से त्वरित विलय अनुमोदन, कारपोरेट पुनर्संरचना आवेदनों एवं संबंधित दाखिलों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें क्रियान्वित की गई हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विलयों के लिए त्वरित प्रक्रिया का विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत अब स्टार्टअप का अन्य स्टार्टपों के साथ तथा लघु कंपनियों के साथ विलय भी सम्मिलित किया गया है, जिससे ऐसी कंपनियों के लिए विलय एवं समामेलन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण हो सके। सितंबर 2025 में त्वरित विलय की परिधि का और विस्तार किया गया है, ताकि अधिक संख्या में कंपनियाँ इस सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं त्वरित ढांचे का लाभ उठा सकें।

(ii) कम्पनी (समझौते, व्यवस्थाएँ एवं समामेलन) नियम, 2016 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसरण में धारा 233 के अंतर्गत प्रदत्त "मानित अनुमोदन" संबंधी प्रावधानों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया कि यदि क्षेत्रीय निदेशक, धारा 232 के अंतर्गत विलय की योजना पर विचार हेतु निर्धारित समयावधि के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है अथवा धारा 233 के अंतर्गत विलय की स्वीकृति हेतु निर्धारित समय सीमा (अर्थात् 60 दिन) के भीतर पुष्टिकरण आदेश जारी नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि प्रादेशिक निदेशक को कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार पुष्टिकरण आदेश जारी किया जाएगा।

(iii) कम्पनी (समझौते, व्यवस्थाएँ एवं समामेलन) नियम, 2016 के नियम 25क में वर्ष 2024 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसरण में, विदेश में निगमित किसी होल्डिंग कंपनी का भारत में निगमित उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय, केंद्र सरकार (जिसका अधिकार प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोजित किया गया है) की स्वीकृति के अधीन होगा। उक्त संशोधन से पूर्व, ऐसे विलयों के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की स्वीकृति आवश्यक थी।
